अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2022(GCMS 2022/154) गगनदीप टक्कर पुत्र अजीत पाल सहि निवासी गली नं. 5 बी, नजदीक गुरूद्वारा गुरू रामदास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94616–76299) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गगनदीप टक्कर स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.06.2022 को एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जिला रसद अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 10.06.2022 से उसे सूचना देने से इंकार कर दिया। इसलिए उसने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 07.06.2022 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

सुरजीत सिंह कॉलोनी, श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए व्यक्तियों की पूर्ण सूची दी जावे अर्थात खाद्य सुरक्षा योजना में सुरजीत सिंह कॉलोनी, श्रीगंगानगर में जिन राशन कार्डो पर खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट परिवारों की पूर्ण जानकारी एवं सूची दी जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक रसद/सू.क.अ./2022/2785 दिनांक 10.06.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के रिकॉर्ड में संधारित नहीं है। **आप स्वयं पब्लिक डोमेन खाद्य विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन पोर्टल food.raj.nic.in पर अवलोकन कर सकते है।** राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मल, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र नमूने मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। **प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 (16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है।** रिट पैटीशन सं. 419/2007 डा0 सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि **सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।**

माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पत्रांक रासूआ/निर्णय/ CIC/SGNG/A/2020/104467 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा आरटीआई द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNG/A/2020/104467 निर्णय दिनांक 16.04.2021 में यह निर्णय पारित किया गया कि – सूचनाओ के सन्दर्भ में अधिनियमानुसार, बिन्दुवार, सटीक [illegible] विनिश्चय जो प्रत्यर्थी /लोक प्राधिकारी की [illegible] में अभिलेख [illegible] बिन्दु 01 व 02 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का सामाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। **सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए चुंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता।** अतः सूचनाये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

-sd-
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है कि **अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के रिकॉर्ड में संधारित नहीं है** किन्तु **प्रार्थी स्वयं पब्लिक डोमेन खाद्य विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन पोर्टल food.raj.nic.in पर प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधि**[illegible] के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी [illegible] हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो नि**[illegible] **और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित** [illegible] **होनी चाहिए** एवं कार्यालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है** इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **अतः अपीलार्थी स्वयं खाद्य विभाग के वेबसाईट/ऑनलाईन पोर्टल food.raj.nic.in पर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested